भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 518
दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेकेकेवाई में संशोधित दिशानिर्देश

518. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) जनवरी 2024 के संशोधित दिशानिर्देशों के बिंदु 4 (1) में संबंधित लोक सभा संसद सदस्य को जिले की शासी परिषद और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का उपबंध है;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और संभावित समय-सीमा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का भविष्य में इस संबंध में संशोधन किए जाने का विचार है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024 में माननीय सांसदों को जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की शासी परिषद के सदस्य बनने का प्रावधान है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****